जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर (राज0)

Phone & Fax- 01572-270048 Email - dlsa32sikar@gmail.com

क्रमांक– 2547 दिनांक– 18.05.2017

–: विज्ञप्ति :–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के परिपत्र क्रमांक/12 **दिनांक** 23.09.2015 तथा पत्र क्रमांक/10027–10061 दिनांक 06.10.2015 में दिए गए निर्देशानुसार रिजर्व पैनल सहित **सीकर मुख्यालय पर 57 व तालुका स्तर पर 169 (नीमकाथाना 40, श्रीमाधोपुर 37, फतेहपुर 25, दांतारामगढ़ 25, लक्ष्मणगढ़ 28, रींगस 14) पैरा लीगल वॉलंटीयर्स** बनाने के लिए प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

(1) **शैक्षणिक योग्यता** : आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) **आवेदन पत्र** : इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(3) **परीक्षा** : आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् पीएलवी को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जाकर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त पीएलवी माना जाकर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा।

(4) **चरित्र** : आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(5) **शारीरिक योग्यता** : आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए

(6) **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :**

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
5. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

(7) **आवेदन की अंतिम तिथि** : आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 30.05.2017 दोपहर 12.00 बजे तक की रहेगी। मुख्यालय स्तर के आवेदनकर्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर में एवं तालुका स्तर के आवेदनकर्ता संबंधित तालुका विधिक

सेवा समिति कार्यालय पर आवेदन जमा करवायें। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। **साक्षात्कार तिथि केवल मात्र वेबसाईट http://ecourts.gov.in/sikar पर प्रसारित की जायेगी, अन्य कोई बुलावा पत्र डाक आदि माध्यम से नहीं भेजा जायेगा।**

(8) पात्रता : पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. चयन हेतु आवेदन कर सकते है –

सेवानिवृत अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्ल्यू. छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डाक्टर/फिजिशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लायर(वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।

चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी) :

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
3. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
4. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का विजिट करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
6. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
7. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडियेशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
8. पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति जो उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
9. पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विधुत सप्लाई,

वाटर सप्लाई, बीमा, अस्पताल, आवासीय सेवाएं, बैंक व वित्तीय संस्था सेवाएं तथा लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।

10. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।
11. पी.एल.वी. द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का इन्द्राज रजिस्टर में रखना होगा।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सौंपे गये कार्य भी पी.एल.वी. को करने होंगे।

(9) **स्पष्टीकरण** : यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात जिला स्तर पर या तालुका स्तर पर या गांव के स्तर पर पी.एल.वी. का कार्य करना चाहता है। **यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा। सभी अभ्यार्थियों/आवेदको को यह भी सूचित किया जाता है कि यह किसी पद के विरूद्ध नियोजन या सेवा सम्बन्धी कार्य नहीं है और पी.एल.वी. के नाते किया गया चयन या दियाँ गया प्रशिक्षण कोई अधिकार सृजित नहीं करता हैं। पी.एल.वी. का कार्य स्वेच्छिक विधिक जागरूकता एवं विधिक सेवा कर सामाजिक एवं विधिक जागृति में रूचिकर व्यक्तियों की स्वैच्छिक सेवा प्राप्त करना हैं। इस विज्ञप्ति के जरिये आवेदन या चयन से या पी.एल.वी. के कार्य करने से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के साथ कोई सेवा संविदा नहीं मानी जावेगी।**

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

क्रमांक–2169 दिनांक– 18.05.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. जिला कलक्टर, सीकर
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, सीकर
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथना / श्रीमाधोपुर / फतेहपुर / लक्ष्मणगढ़ / दांतारामगढ़ / रींगस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को न्यायालय एवं विधिक सेवा समितियों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर
6. अधीक्षक, एस. के. अस्पताल, सीकर
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर
8. कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, सीकर
9. प्राचार्य, श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय/शहीद भगतसिंह विधि महाविद्यालय/राजकीय विधि महाविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय, सीकर
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला सीकर
11. अधीक्षक, जिला कारागृह, सीकर/ उपकारागृह, नीमकाथाना व फतेहपुर
12. सहायक निदेशक, महिला बाल विकास विभाग, सीकर
13. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
15. ....

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं के हस्ताक्षर सहित

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम...
3. जन्म तिथि ....
4. शैक्षणिक योग्यता ....
5. विशेष योग्यता ....
6. अनुभव ....
7. पुरूष / महिला ....
8. वर्ग (सामान्य / ओबीसी / एससी / एसटी) ....
9. जिला मुख्यालय / तालुका का नाम ....
   (जहां आवेदक सेवाएं देने हेतु इच्छुक हो)
10. स्थायी पता..
    ....
    ....
11. वर्तमान पत्राचार पता ....
    ....
    ....
12. दूरभाष व मोबाईल नम्बर..

आवेदक के हस्ताक्षर

—: सहमति पत्र :—

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी.. निवासी...ने विज्ञप्ति एवं उसमें अंकित शर्तों का पूर्णतया अवलोकन कर लिया है एवं मैं विधिक सेवा केन्द्रों पर संचालित होने वाले कार्यों के लिए पैरालीगल वोलेन्टियर (पीएलवी) की सेवाएं देने बाबत् विज्ञप्ति अनुसार अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर